तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व त... अहकाम ज... हुक्म की ... में जारी
16-5-16	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित है। पत्रावली दि० 10-6-16 को लोक अदालत मे मुकाम टोकसी पर पेश हो। पक्षकारों को सूचित किया जावे। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	
10-6-16	पत्रावली आज लोक अदालत मे पेश हुई। वादी व प्रतिवादी नं० 1, 2 उपस्थित है। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी की भूमि ख०नं० 351, 356, 659 ग्राम टोकसी मे वादी को कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। पक्षकारान में अगर सीमाज्ञान के संबंध में कोई विवाद है तो दोनो पक्ष सीमाज्ञान अपने अपने खातेदारी की भूमि का कराने को स्वतंत्र है। पक्षकारों ने राजीनामा प्रस्तुत किया है उसके अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख०नं० 351, 356, 659 ग्राम टोकसी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में वादी को बाधा उत्पन्न नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निशानी अंगूठा ... Nem ... ह० ...

मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) टोकसी

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

मीठालाल पुत्र रामफूल मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. रामसहाय पुत्र रामफूल मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
2. हरी पुत्र रामफूल मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी ——वादीगण

दावा घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 93/2013

वादी की ओर से वादी मीठालाल की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी रामसहाय की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 10.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिकी दी जाती है कि

लोक अदालत में पत्रावली प्रस्तुत होने पर पक्षकारो के मध्य राजीनामे के अनुसार प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि ख0न0 341, 346, 659 ग्राम टोकसी में वादी को कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करेगे तथा पक्षकारान अपनी अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराने हेतु स्वतंत्र है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 10.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

प्रपत्र 4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुरसिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- टोकसी

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 10/6/16

... पीठासीन अधिकारी महोदय
...- टोकसी

मीठालाल .... बनाम .... रामसहाय वगैरह

... संख्या - 102/10 .... अन्तर्गत धारा ....

... प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्री .... मीठालाल .... कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो ... हमारे बीच कोई विवाद नही रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। ... आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :- कि प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी ... ख.नं. 341, 346, 659 ग्राम-टोकसी में वादी की कब्जे ... अनुसार, 34 बीघा में कब्जा उत्पन्न नही करेंगे। पक्षकारान में भूमि ... के सम्बन्ध में कोई विवाद है तो दोनों पक्ष सीमाज्ञान अथवा ... खातेदारी की तरमीम करवा के खातेदारी ...

श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें।

प्रतिवादी पक्ष 1. ....

2. हरीलाल

3. .... नि० रामसहाय

4. ....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ....

(प्रतिवादी पक्ष) नाम .... सरपंच ग्राम पंचायत ...

... के हस्ताक्षर ....

नाम ....

... वादी मीठालाल .... एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी .... हरीलाल, रामसहाय ... द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना ... गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य)

(... कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी

(रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी

(सुनिदेव यादव) अध्यक्ष पीठासीन अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर

प्रपत्र–1

न्यायालय उप खंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

आवेदन पत्र

कैम्प कोर्ट का स्थान ....

नम्बर मुकदमा............ 102/10

उनवान मुकदमा............

बनाम

विषय : लोक अदालत की भावना से प्रकरण मे राजीनामा करने हेतु।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/अपीलार्थी/ प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पोडेन्ट है तथा उक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता है।

अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करे।

प्रार्थी

स्थान............

दिनांक 10/6/16